अपील सूचना अधिकार संख्या 80/2020 (RCMS 2020/00137) आमिर खान पुत्र दलीप खान निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 97825–53063) बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी आज स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। **अपीलार्थी ने सूचना का अ**धिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी के** समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2020 को प्रस्तुत करके 01 बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई है जिसकी अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है और प्रार्थना की है कि उसे लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री आमीर खान ने दिनांक 24.07.2020 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

> डिपू होल्डर शबीर मोहम्मद पुत्र नाजीर खान निवासी सरदागढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के अनुज्ञापत्र संख्या मय आवेदन पत्र के साथ पेश किये गये समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने दिनांक 18.08.2020 से अपील पत्र का जवाब भिजवाते हुए अपीलार्थी को पत्रांक रसद/सू.क.अ./2020/9685 दिनांक 05.08.2020 से दिये गये जवाब की प्रति संलग्न कर भिजवाई है, जिसके अनुसार जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा दिनांक 24.7.2020 को प्रस्तुत प्रा.प. में निम्नलिखित सूचना चाही गई है :

> डिपू होल्डर शबीर मोहम्मद पुत्र नाजीर खान निवासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के अनुज्ञा पत्र संख्या मय आवेदन पत्र के साथ पेश किये गये समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वांछित सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है जो सम्बन्धित पक्षकार की सहमति के बिना देय नहीं है।

इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 05.08.2020 से अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं किन्तु फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि अगर उन्हें तृतीय पक्षकार की सहमति प्राप्त हो जाए तो अपीलार्थी को 7 दिवस में नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।**

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर